न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 159/2024 अन्तर्गत धारा 88, 188, 207 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
सुरतीदेवी पत्नी भुराराम जाति जाट, निवासी नई रेवाली (बाटाडू) हाल निवासी डलानाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. खुमाराम पुत्र जालुराम जाति जाट, निवासी नई रेवाली तहसील बाटाडू, जिला बाड़मेर 2. देराजराम पुत्र जालुराम जाति जाट, निवासी डलानाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. शाखा प्रबंधक, एसबीआई शाखा गौखाबकला 4. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादीनी – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 04.07.2025

वादीनी के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीनी के पति एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा डलानाडा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 331 रकबा 27.1948 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीनी के पति भुराराम पुत्र लाभूराम व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता जालुराम पुत्र उदाराम द्वारा बहिस्सा बराबर पूर्व खातेदार मगसिंह पुत्र केशरसिंह व जवानसिंह पुत्र बुलीदानसिंह से दस्तावेज संख्या 15/77 द्वारा क्रय कर मौके पर काबिज हुए है। उक्त क्रय दस्तावेज का नामांतरकरण संख्या 254 पारित करवाया गया, जिसमें हल्का पटवारी द्वारा लिपीकिय भूल व संहवन से वादीनी के पति की वल्दियत भुराराम पुत्र लाभुराम के स्थान पर भुराराम पुत्र जालुराम दर्ज कर दी गई जबकि वादीनी के पति की सही वल्दियत भुराराम पुत्र लाभुराम है तथा बैचान दस्तावेज में भी वादीनी के पति का नाम व वल्दियत भुराराम पुत्र लाभुराम ही अंकित है। जिसकी सही घोषणा करवाने की वादीनी अधिकारीणी है। साथ ही हाल में राज्य सरकार द्वारा चलाये गये अभियान में समस्त खातेदारान् के राजस्व रेकर्ड में हिस्से खोले गये, जिसमें वादीनी के पति का गलत नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित होने से हल्का पटवारी द्वारा बिना पुछताछ किये तथा पुराने रेकर्ड की बिना जांच किये वादीनी के पति को अन्य सहखातेदारान् का भाई मानते हुए बहिस्सा बराबर 1/3 – 1/3 अंकित कर दिया गया जबकि उक्त विवादित आराजी वादीनी के पति व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता द्वारा बहिस्सा बराबर क्रय की हुई होने से वादीनी के पति का 1/2 खातेदारी हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/2 खातेदारी हिस्सा बनता है, जिसे सही खातेदारी हिस्सा घोषित करवाने की वादीनी विधिक अधिकारीणी है। वादीनी अपने पति भुराराम पुत्र लाभुराम की एकमात्र वारिस होने से उक्त वाद वादीनी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वादीनी द्वारा अपने वाद के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी, राशन कार्ड आदि पेश किये गये है। अतः वादीनी द्वारा उक्त वाद वादग्रस्त आराजी में [illegible] पति की वल्दियत भुराराम पुत्र जालुराम के स्थान पर भुराराम पुत्र लाभुराम की घोषणा [illegible] राजस्व रेकर्ड में वादीनी के पति के दर्ज गलत खातेदारी हिस्सा को [illegible] घोषित करवाने की विधिक अधिकारी होने से वादग्रस्त आराजी में 1/2 खातेदारी हिस्सा की घोषणा करवाने हेतु पेश किया गया है।

वाद पंजीयन किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादीनी द्वारा अपने वाद के समर्थन मे साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:08:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

वादीनी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में वादीनी के पति की वल्दियत भुराराम पुत्र जालुराम के स्थान पर भुराराम पुत्र लाभुराम की घोषणा करने तथा राजस्व रेकर्ड में वादीनी के पति भुराराम पुत्र लाभुराम का 1/2 खातेदारी हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/4–1/4 खातेदारी हिस्सा की घोषणा की जाकर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वाद के तथ्यों पर वादीनी वकील को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि वादीनी के पति एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। पूर्व में उक्त खातेदारी खातेदारी भूमि वादीनी के पति एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता द्वारा बहिस्सा बराबर क्रय की गई। उक्त भूमि के क्रय दस्तावेज में भुराराम पुत्र लाभुराम अंकित जबकि है जबकि राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी में भुराराम पुत्र जालुराम दर्ज है। उक्त अंकन के संबंध में वादीनी द्वारा अपने पति की वल्दियत भुराराम पुत्र जालुराम के स्थान पर भुराराम पुत्र लाभुराम घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है, जिसमें वादीनी द्वारा अपने वाद के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी, राशन कार्ड व अन्य खातेदारी भूमि की जमाबंदी आदि पेश किये गये है, जिसमें वादीनी के पति का नाम भुराराम पुत्र लाभुराम साबित है। साथ ही विवादित आराजी में वादीनी के पति का 1/2 हिस्सा होते हुए भी राजस्व रेकर्ड में वादीनी के पति भुराराम पुत्र लाभुराम व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 – 1/3 खातेदारी हिस्सा दर्ज कर दिया गया, जिसे वादीनी सही करवाने की विधिक अधिकारीणी है। वादीनी द्वारा अपने वाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया गया है तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये है। वादीनी अधिवक्ता द्वारा भी वादग्रस्त आराजी में वादीनी के पति की वल्दियत भुराराम पुत्र जालुराम के स्थान पर भुराराम पुत्र लाभुराम की घोषणा करने तथा राजस्व रेकर्ड में वादीनी के पति भुराराम पुत्र लाभुराम का 1/2 खातेदारी हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/4–1/4 खातेदारी हिस्सा की घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः वादग्रस्त आराजी में गलत वल्दियत एवं खातेदारी हिस्से दर्ज होने तथा वादीनी अपने पति की एकमात्र विधिक वारिश होने से अपने पति की वल्दियत भुराराम पुत्र जालुराम के स्थान पर भुराराम पुत्र लाभुराम की घोषणा करवाने तथा सही खातेदारी हिस्से की घोषणा करवाने की अधिकारीणी होने से वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा डलानाडा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 331 रकबा 27.1948 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीनी के पति की वल्दियत भुराराम पुत्र जालुराम के स्थान पर भुराराम पुत्र लाभुराम दुरस्त करने की घोषणा की जाकर उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत खातेदारी हिस्सों को निरस्त किया जाकर वादीनी के पति भुराराम पुत्र लाभुराम का 1/2 खातेदारी हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/4 – 1/4 खातेदारी हिस्सा घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:08:42 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव